फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री नारायण लाल पिता छोगालाल कीर निवासी कीर खेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार राशमी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 35/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री नारायण लाल पिता छोगालाल कीर रिटायर्ड पेंशनर निवासी कीर खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.11.2017, 12.01.2018, 20.01.2018 आदि विभिन्न दिनांको को प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2017, 12.01.2018, 20.01.18 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 17.12.2017, 12.02.2018, 20.02.2018 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 17.01.2018, 12.03.2018, 20.03.2018 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 1 वर्ष के पश्चात् दिनांक 07.03.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है तथा न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी से सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	13/3/19

Web Copy - Not Official